



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20062020-220047
CG-MH-E-20062020-220047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942

No. 212]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 10 जून 2020

सं. टीएमपी/11/2020-वीएसपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में ईक्यू-8 और ईक्यू-9 बर्थों में विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) द्वारा प्रहस्तित पोतों के लिए उसके दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए वीएसपीएल से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/11/2020-वीएसपीएल

विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

कोरम:

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(1 जून 2020 को पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में ईक्यू-8 और ईक्यू-9 बर्थों में विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) द्वारा प्रहस्तित पोतों के लिए उसके दरमानों (एसओआर) के सामान्य संशोधन के लिए वीएसपीएल से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. वीएसपीएल ने अपने पत्रों दिनांक 31 जनवरी 2020 और 11 फरवरी 2020 द्वारा अपने एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए प्रशुल्क नीति, 2019 का अनुसरण करते हुए एक प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव दिनांक 31 जनवरी 2020 और 11 फरवरी 2020 पर वीपीटी तथा संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से परामर्श किया गया था। मै0 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा प्रेषित टिप्पणियां प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में वीएसपीएल को अग्रप्रेषित की गई थीं। वीएसपीएल ने सेल की टिप्पणियों पर प्रतिसाद दिया है।

- 2.2. प्रस्ताव की संवीक्षा पर, वीएसपीएल और वीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 3 मार्च 2020 द्वारा अनुरोध किया गया था कि अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पेश करें। इस मामले में संयुक्त सुनवाई 26 फरवरी 2020 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, वीएसपीएल, वीपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों ने अपने निवेदन पेश किए थे।
- 2.3. वीएसपीएल ने हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण अपने ईमेल दिनांक 12 मार्च 2020 और अनुवर्ती ईमेल दिनांक 16 मार्च 2020 द्वारा भेजी थी। अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पर प्रतिसाद देते समय, वीएसपीएल ने संशोधित प्रारूप-1 (एआरआर) और संशोधित प्रारूप-4 (राजस्व अनुमानन) को शामिल करते हुए संशोधित प्रस्ताव भेजा था।
- 2.4. वीपीटी ने हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण अपने ईमेल दिनांक 18 मार्च 2020 द्वारा भेजे हैं।
3. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, यह प्राधिकरण प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अधीन अपने एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए वीएसपीएल द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित किया है।
- 4.1. इस प्राधिकरण द्वारा पारित स्पष्ट आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना की प्रक्रिया में है और अधिसूचना के लिए इसमें कुछ और समय लगने की संभावना है। चूंकि विस्तृत स्पष्ट आदेश की अधिसूचना में कुछ और समय लगेगा, इसलिए यह प्राधिकरण वीएसपीएल का संशोधित एसओआर अधिसूचित करता है जोकि **अनुबंध** के रूप में संलग्न है। खण्ड 1.2 के अधीन टिप्पणी सं. 19 में एसओआर में यथा उल्लिखित, एसओआर का अगला वार्षिक सूचकांकन संशोधित एसओआर के लागू होने की तारीख से होगा। संक्षेप में, वर्ष 2020-21 के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित 1.13 प्रतिशत का वार्षिक सूचकांकन संशोधित एसओआर पर लागू किया जाना चाहिए और तब कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- 4.2. इस प्राधिकरण द्वारा पारित स्पष्ट आदेश अलग-से अधिसूचित किया जाएगा और वीएसपीएल, वीपीटी तथा प्रासंगिक उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को आने वाले समय में संप्रेषित किया जाएगा।
- 4.3. संशोधित एसओआर भारत के राजपत्र में एसओआर को अधिसूचित करने वाले इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा और संशोधित एसओआर के लागू होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/Exty./65/2020-21]

अनुलग्नक

विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

दरमान

खण्ड - 1

1.1. परिभाषाएँ – सामान्य

इस दरमान में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

- (1). **“वीपीटी”** अर्थात् विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी)।
- (2). **“वीएसपीएल”** अर्थात् विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, भारत में निगमित कम्पनी, इसके उत्तराधिकारी और नियुक्त।
- (3). **“तटीय पोत”** अर्थात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत।
- (4). **“विदेशगामी पोत”** अर्थात् तटीय पोत से इतर कोई पोत।
- (5). **“दिवस”** अर्थात् एक दिन के प्रातः 6.00 बजे से शुरू होकर और अगले दिन प्रातः 6.00 बजे समाप्त अवधि।
- (6). **“किरायेदार”** अर्थात् वीएसपीएल द्वारा उपलब्ध करवाये गए उपकरणों में से किसी के सभी उपयोक्ता।

1.2. सामान्य निबंधन और शर्तें

- (1). पोत की हैसियत, सीमाशुल्क अथवा नौवहन महानिदेशक द्वारा जैसा इसका प्रमाणीकरण किया गया हो, यह निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक कारक है कि पोत संबंधी प्रभारों की वसूली के प्रयोजन के लिए पोत 'तटीय' अथवा 'विदेशगामी'। तटीय नौचालनों के लिए अनुमत विदेशगामी पोत और उनके द्वारा वहन किए गए कार्गो/कंटेनर भी ऐसे स्वीकार्य नौचालनों के मामले में रियायत के लिए पात्र होंगे।
- (2).
 - (i). सामान्य व्यापार लाइसेंस वाले भारतीय ध्वज का विदेशगामी पोत सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित किया जा सकता है।
 - (ii). विदेशी ध्वज वाला विदेशगामी पोत नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी तटीय नौचालन लाइसेंस के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित किया जा सकता है।
 - (iii). ऐसे परिवर्तन के मामलों में, लदाई पत्तन द्वारा तटीय दरें पोत के तटीय सामानों की लदाई शुरू किए जाने के समय से प्रभार्य होंगी।
 - (iv). ऐसे परिवर्तन के मामलों में, तटीय दरें केवल पोत द्वारा तटीय कार्गो उतराई प्रचालनों को पूरा किए जाने तक प्रभार्य होंगी, उसके पश्चात विदेशगामी दरें उतराई पत्तनों द्वारा प्रभार्य होंगी।
 - (v). नौवहन महानिदेशक से तटीय लाइसेंस वाले विनियुक्त भारतीय तटीय पोतों के लिए, तटीय दरों की पात्रता के लिए कोई अन्य दस्तावेज़ अपेक्षित नहीं होंगे।
- (3). बर्थ किराया प्रभार जलयान स्वामियों/स्टीमर एजेंटों पर प्रभार्य होंगे। जहां कहीं दरें अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित की गई हैं, प्रभार भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके एसोसिएट्स अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा अधिसूचित बाजार खरीद दर पर भारतीय रुपयों के समकक्ष अमेरिकी मुद्रा के विनिमय के पश्चात भारतीय रुपयों में वसूल किए जाएंगे। पत्तन सीमा में पोत के प्रवेश के दिन ऐसे विनिमय के लिए दिन माना जाएगा।
- (4). तीस दिनों से अधिक के लिए वीएसपीएल में रुकने वाले पोतों के मामले में पोतों के आगमन की तारीख से तीस दिनों में एक बार विनिमय दर की नियमित समीक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों में, बिलिंग का आधार समीक्षा के समय प्रचलित उपयुक्त विनिमय दर के संदर्भ में भावी रूप से बदल जाएगा।

- (5). यदि वापसी-योग्य राशि रु0 100/- से कम हो तो वापसी नहीं की जाएगी। यह सीमा ऐसे प्रभारों के अनुपूरक दावों के लिए भी लागू होगी।
- (6). देयताओं की गणना करने के प्रयोजन से, भार द्वारा यह इकाई 1 टन अथवा 1,000 किलोग्राम होगी, मात्रा माप द्वारा यह इकाई 1 घन मीटर होगी और क्षमता माप द्वारा यह इकाई बल्क में द्रवों के लिए 1,000 लिटर होगी।
- (7). किसी वैयक्तिक मद की मात्रा अथवा क्षमता द्वारा सकल भार अथवा माप की गणना करते हुए 0.5 तक के दशमलव 0.5 इकाई रूप में लिए जाएंगे और 0.5 और अधिक के दशमलव एक इकाई रूप में माने जाएंगे, जहां अन्यथा विनिर्दिष्ट हो, को छोड़कर।
- (8). विलंबित भुगतानों/वापसियों पर ब्याज:
- उपयोक्ता को किसी प्रभार के विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज इस दरमान के अधीन भुगतान करना होगा। ब्याज की दर 15.85 प्रतिशत होगी।
 - इसी प्रकार, वीएसपीएल विलंबित वापसियों पर 15.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज करेगा।
 - उपयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब वीएसपीएल द्वारा बिलों को दिए जाने की तारीख के 10 दिन बाद से परिगणित किया जाएगा। तथापि, यह उपबंध उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां भुगतान महापत्तन न्यास अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट सेवाएं प्राप्त किए जाने से पहले किया जाता है और/अथवा जहां प्रभारों का अग्रिम भुगतान इस दरमान में निर्धारित किया गया है।
 - वापसियों में विलंब सेवाओं के पूरा होने की तारीख के 20 दिन बाद से अथवा उपयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद में हो, परिगणित किया जाएगा।
- (9). सभी परिगणित प्रभार प्रत्येक बिल के सकल जोड़ के अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किए जाएंगे।
- (10). वीएसपीएल की सीमाओं के भीतर उतारे गए सभी सामान आयात आवेदन पर मूल्यांकित किए जाएंगे और शुल्क सामानों को हटाए जाने से पहले अदा करने होंगे।
- (11). नौभरण के लिए प्रवृत्त सभी सामान निर्यात आवेदन पर मूल्यांकित किए जाएंगे और शुल्क सामानों को जलयान पर चढ़ाए जाने से पहले भुगतान किए जाएंगे।
- (12).
- सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य पोतों के लिए तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
 - पीओएल सहित कच्चे तेल, लौह अयस्क और लौह अयस्क गुट्टिकाओं एवं ताप कोयले से इतर सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधी प्रभार सामान्य कार्गो संबंधित प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
 - कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में, रियायती दरें जलयान-तट स्थानांतरण और घाट से/को भंडारण यार्ड को/से स्थानांतरण के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर घाटशुल्क सहित प्रभार्य होंगी।
 - विदेशी पत्तन से कार्गो, जो भारतीय पत्तन 'ख' को अनुवर्ती पोतांतरण के लिए भारतीय पत्तन 'क' पर पहुंचता है, से इसके तटीय नौचालन के लिए प्रासंगिक रियायती प्रभार वसूल किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, तटीय नौचालन के लिए अनुमत पोत द्वारा भारतीय पत्तनों से/को ले जाया जाने वाला कार्गो रियायत के लिए पात्र होगा।
- (13). **पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए पोत के वर्गीकरण की प्रणाली**
- भारतीय ध्वज वाला विदेशगामी पोत, जिसके पास सामान्य व्यापार लाइसेंस है, सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय पोत में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे पोत जो भारतीय पत्तन में उसकी प्रथम पत्तन आगमन पर सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित होता है, जब तक यह भारतीय तट पर नहीं पहुंचता है, किसी और सीमाशुल्क परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।
 - विदेशी ध्वज वाला विदेशगामी पोत महानिदेशक नौवहन और सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश द्वारा जारी तटीय यात्रा अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस के आधार पर तटीय पोत के रूप में परिवर्तन कर सकता है।
- (14). **रियायती तटीय दर तथा विदेशी दर पर पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड**
- ऐसे परिवर्तन के मामलों में लदान करने वाले पत्तन द्वारा पोत के तटीय सामग्रियों का लदान प्रारंभ करने के समय से तटीय दरें वसूल की जाएंगी।
 - ऐसे परिवर्तन के मामले में तटीय दरें केवल तब तक प्रभार्य होंगी, जब तक पोत तटीय कार्गो का उतराई प्रचालन पूरा करता है, उसके तत्काल बाद विदेशगामी दरें उतराई पत्तन द्वारा वसूल की जाएंगी।
 - महानिदेशक, नौवहन से प्राप्त तटीय लाइसेंस वाले नियत भारतीय तटीय पोतों के लिए तटीय दरों के हकदार होने के लिए अन्य दस्तावेज की अपेक्षा नहीं होगी।
 - पूर्वी तट पर भारतीय पत्तन और पश्चिमी तट पर भारतीय पत्तन के बीच अथवा विलोमतः, श्रीलंका के क्षेत्रीय जलमार्गों के माध्यम से पोत द्वारा, इस बीच श्रीलंका में किसी पत्तन पर आने अथवा नहीं आने वाले और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई 2018 के अनुसार बिना किसी बदलाव के, परिवहन किए जाने वाले तटीय माल पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभारों में रियायत के लिए पात्र होंगे।
 - पूर्वी तट पर भारतीय पत्तन और भारत में नदी पत्तन के बीच अथवा विलोमतः, बंगलादेशी जलमार्गों के माध्यम से गुजरने वाले मार्ग के माध्यम से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई 2018 के अनुसार पोत में बिना किसी बदलाव के, परिवहन किए जाने वाले तटीय माल पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभारों में रियायत के लिए पात्र होंगे।
- (15). **रियायती तटीय दर पर कार्गो संबंधित प्रभारों (सीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड**
- 'विश्वव्यापी तथा तटीय' परिचालन के लिए जारी किए गए सामान्य ट्रेडिंग लाइसेंस वाले विदेशगामी भारतीय पोत प्रहस्तन प्रभारों (एचसी) के मामले में अर्थात् जलयान से तट स्थानांतरण और निम्नलिखित परिदृश्य में घाटशुल्क सहित घाट से/को भंडारण यार्ड और विलोमतः तटीय दरें लागू की जाएंगी:
 - तटीय चालन में परिवर्तित और किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की ढुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।

(ख). तटीय चालन में * अपरिवर्तित परन्तु किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की दुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।

*केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड का परिपत्र सं. 15/2002-सी. दिनांक 25 फरवरी 2002 बिना किसी सीमाशुल्क परिवर्तन के भारतीय ध्वज वाले विदेशगामी पोतों में एक भारतीय पत्तन से भारत में दूसरे पत्तन तक तटीय कार्गो की दुलाई की अनुमति देता है।

(ii). जहाजरानी महानिदेशक द्वारा जारी किए गए विनिर्दिष्ट अवधि अथवा नौप्रस्थान के लिए लाइसेंस और सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित विदेशी ध्वज वाले पोत के मामले में, किसी भारतीय पत्तन से लादा गया तथा किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित तटीय कार्गो/कंटेनर तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए लागू दर पर वसूल किया जाएगा।

(16). क्राफ्टों, बर्था, फेंडरों, बोलाडों और अन्य तट उपस्करों, औजारों और संयंत्रों के मामले में किरायेदार मॉग, वास्तविक प्रभारों के लंबित निर्धारण की प्राप्ति के तत्काल पश्चात वीएसपीएल द्वारा यथा निर्धारित क्षतियों के लिए सभी ऐसे प्रभारों के लिए अनुमानित राशि जमा करेगा। पूर्ण क्षति के मामले में, किरायेदार वीएसपीएल के क्राफ्टों अथवा उपकरणों अथवा सम्पत्तियों के बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य, जो भी ज्यादा हो, जमा करेगा। वीएसपीएल अपने दावे की स्वीकृति पर बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षति की लागत की वापसी पर उस किरायेदार को यथा लागू ब्याज के साथ वापस करेगा जिससे उपस्कर की क्षति की लागत वसूल की गई थी।

(17). वीएसपीएल पर आरोप्य उपयुक्त स्तर से अधिक के लिए उपयोक्ताओं को प्रभार अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(18). पत्तनों में भीड़ को कम करने और नियमित घंटों के बाद पत्तन सेवाओं का उपयोग करने के लिए निर्यातकों/आयातकों को प्रोत्साहित करने के लिए, कार्गो तथा पोत संबंधित सेवाओं के लिए कम प्रभार वसूल किए जा सकते हैं और नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभारों में विशेष छूट दी जा सकती है।

[यह शर्त एमओएस पत्र सं. पीडी/14033/101/2015-पीडी.V दिनांक 3 फरवरी 2016 के अनुसरण में शामिल की गई है जिसके आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा एक सामान्य अंगीकरण आदेश सं. टीएमपी/14/2016-विविध दिनांक 16 फरवरी 2016 अनुमोदित किया गया है]

(19). एसओआर 1 जनवरी से प्रासंगिक वर्ष के 31 दिसंबर के बीच आने वाले इस प्राधिकरण द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन है। ऐसा समायोजित एसओआर प्रासंगिक वर्ष के 1 मई से आगामी वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। अगला वार्षिक समायोजन संशोधित एसओआर के लागू होने की तारीख से होगा। सूचकांकित एसओआर के बारे में वीएसपीएल द्वारा वीपीटी, संबद्ध उपयोक्ताओं और इस प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए।

खंड - 2

पोत संबंधित प्रभार

2.1. बर्थ किराया

2.1.1. पोतों के लिए बर्थ किराये की अनुसूची

विवरण	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग	
	विदेशगामी पोत (अ0डा0 में)	तटीय पोत (रु0 में)
बर्थ ईक्यू 8: बल्क मेटिरियल हैंडलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उतारे गए पोत	0.0099 न्यूनतम अ0डा0 198 के अधीन	0.2595 न्यूनतम रु0 5219/- के अधीन
बर्थ ईक्यू 8 और ईक्यू 9	0.0090 न्यूनतम अ0डा0 180 के अधीन	0.2359 न्यूनतम रु0 4745/- के अधीन

बर्थ किराये संबंधी सामान्य टिप्पणियां

(1). एक घंटे की अवधि के लिए बर्थ किराया जिसमें पोत अपनी हैसियत बदल सकता है, एक घंटे की अवधि के प्रासंगिक प्रखंड की शुरुआत में पोत की हैसियत के आधार पर वसूल किया जाएगा।

(2). बर्थ किराये की अवधि बर्थ में मूरिंग के पूरा होने के समय से परिगणित की जाएगी।

(3). उस अवधि के लिए बर्थ किराया प्रभार देय नहीं होंगे जब वीएसपीएल पर आरोप्य बिजली गुल होना सहित किन्हीं अन्य कारणों से अथवा संयंत्र उपस्कर की अनुपलब्धता अथवा खराबी के कारण लदाई/उतराई प्रचालन नहीं किए जा सकते।

(4). (i). एक समय सीमा के बाद बर्थ किराया लागू नहीं होगा। पोत के नौचालन के लिए तैयार होने का संकेत देने के 4 घंटों बाद बर्थ किराया रूक जाएगा।

(ii). बर्थ किराया खत्म करने के लिए निर्धारित 4 घंटों की समय सीमा में पक्षीय ज्वारभाटा स्थिति के अभाव में अथवा खराब मौसम अथवा रात्रि नेविगेशन सुविधाओं के अभाव के कारण जलयान का प्रतीक्षा समय शामिल नहीं होगा।

(iii). पोत का मास्टर/एजेंट नौचालन के लिए तैयार होने का संकेत केवल पक्षीय ज्वारभाटा और मौसम स्थिति के अनुसार होगा।

(iv). झूठे संकेत के लिए दंडात्मक बर्थ किराया एक दिन के बर्थ किराया प्रभार के बराबर होगा।

“झूठा संकेत” तब होगा जब पोत तैयार होने का संकेत देता है और पूर्वानुमान से पाइलट की मांग करता है जबकि वह इंजन तैयार नहीं होने अथवा कार्गो प्रचालन पूरा नहीं होने अथवा पोतों पर आरोप्य ऐसे अन्य कारणों से बर्थ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। जब पोत अपक्षीय लहर, रात्रि नौचालन की कमी अथवा प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण नौचालन में समर्थ नहीं होता है, इसे तैयार होने का संकेत देने से अलग करता है”।

(5). आस्टिंग प्राथमिकता/प्राथमिकता बर्थ किराया:

(i). किसी पोत को 'आस्टिंग प्राथमिकता' प्रदान करने के लिए, एक दिन (प्रत्येक एक घंटे की 24 इकाईयां) के बर्थ किराये के समकक्ष शुल्क अथवा बर्थ में वास्तविक विराम की कुल अवधि के लिए परिगणित बर्थ किराये का 100 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, प्रभार्य होगा।

- (ii). किसी पोत को 'प्राथमिकता बर्थिंग' के लिए, एक दिन (प्रत्येक एक घंटे की 24 इकाईयां) के लिए बर्थ किराये के समकक्ष शुल्क अथवा बर्थ में वास्तविक विराम की कुल अवधि के लिए परिगणित बर्थ किराये का 75 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, प्रभार्य होगा।
- (iii). जहां कार्यगत बर्थ किसी पोत के लिए पहले से खाली है और प्राथमिकता/ऑस्टिंग प्राथमिकता वाले पोत को उस खाली बर्थ में खड़ा किया जाता है तो इसके आगमन से पहले बर्थिंग के लिए जलमार्गों पर कोई पोत प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं अथवा जब जलमार्ग पर प्रतीक्षा कर रहे पोत सभी पहलुओं (दस्तावेजों का तैयार नहीं होना/कार्गो की कमी/यूलेज की कमी/हैच सफाई/प्राप्तकर्ता अथवा पोतवणिक काम करने के इच्छुक नहीं हों) से तैयार नहीं हो तो इसे प्राथमिकता बर्थिंग नहीं माना जाएगा और ऐसे मामलों में प्राथमिकता बर्थिंग प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे।
- (iv). ऊपर यथा निर्दिष्ट प्राथमिकता/ऑस्टिंग प्राथमिकता के अनुसार शुल्क निम्नलिखित श्रेणियों के अलावा सभी पोतों से वसूल किया जाएगा:
- (क). रक्षा मंत्रालय का कार्गो वहन करने वाले पोत।
- (ख). सद्भावना दौरो पर आने वाले रक्षा पोत।
- (ग). महासागर विकास विभाग द्वारा अंटार्कटिका भ्रमण के प्रयोजन के लिए किराये पर लिए गए पोत।
- (घ). कोई अन्य पोत जिसके लिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा विशेष छूट प्रदान की गई हो।
- (ङ). तटीय पोत जिन्हें प्राथमिकता बर्थिंग प्रदान की जाएगी, प्राथमिकता बर्थिंग प्रभार अदा नहीं करने होंगे।
- टिप्पणी:** वीएसपीएल लाइसेंस करार के खंड 3.9 (ख) द्वारा शासित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि लाइसेंसधारी (वीएसपीएल) लाइसेंसदाता (वीपीटी) के पूर्व लिखित अनुमोदन से किसी एक अथवा ज्यादा शिपिंग लाइनों अथवा पोत स्वामियों/प्रचालकों को बर्थों और उपस्कर के सर्वोत्तम उपयोग के लिए वरीयता अथवा प्राथमिकता बर्थिंग ऑफर कर सकता है।

2.1.2. दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार

दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार खंड 2.1.4 में दिए गए प्रतिमानकों के अनुसार बर्थ अभिग्रहण के बाद पोत के अति-विराम के लिए देय होंगे यदि पोत पर आरोप्य किन्हीं कारणों से प्रतिमानक अर्जित नहीं किए जा सकते।

- (i). पोत को निम्नलिखित अवधि के लिए, बिना किसी दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों के, कार्गो प्रचालन के पूरा होने के बाद बर्थ अभिग्रहण की अनुमति दी जाएगी:
- (क). कोई पोत जिसे "सुरक्षा" की आवश्यकता हो 4 घंटे
- (ख). खाद्यान्न पोत धूमन और इनरटिंग की अपेक्षा वाले 4 घंटे
- (ग). सभी अन्य मामलों में 4 घंटे
- (ii). दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों की वसूली के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पोत हेतु बर्थ अभिग्रहण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
- (क). पोत के विराम की अवधि का निर्णय करने के लिए, लेबर द्वारा कार्य रोकने और लेबर अवकाश दिवस के कारण पारियों की संख्या का नुकसान अतिरिक्त होगा।
- (ख). पारी जिसमें पोत बर्थ किया जाता है, बर्थ पर पोतों के विराम का निर्णय नहीं होगा क्योंकि सामान्यतः पोतों को हुकों की कम संख्या के कारण पारी के बीच में बर्थ किया जाता है।
- (ग). नए कार्गो के मामले में, तीन परेषणों का औसत निष्पादन लगभग 'प्रतिमानक' रूप में निर्धारित किया जाएगा जिसके और शोधन के लिए छह महीने बाद समीक्षा की जाएगी।
- (घ). वीएसपीएल पर आरोप्य कारणों से कार्य का रूकना अतिरिक्त होगा।
- (iii). (क). बंकरों और/अथवा बार्जों के माध्यम से जल की आपूर्ति के मामले में, पोत को 4 घंटों के लिए बिना दंडात्मक बर्थ किराया वसूल किए बर्थ पर विराम की अनुमति दी जाएगी।
- (ख). जल की आपूर्ति के मामले में, पोत के समीप बार्ज के स्थापन के समय से 4 घंटों के लिए बिना दंडात्मक बर्थ किराया वसूल किए बर्थ पर विराम करने की पोत को अनुमति दी जाएगी।
- (ग). बार्ज से इतर स्रोतों के माध्यम से जल/बंकर लेने वाले पोतों को बिना दंडात्मक बर्थ किराया वसूल किए कार्गो की लदाई/उतराई के पूरा होने के समय से 4 घंटों के लिए विराम की अनुमति दी जाएगी।

2.1.3. नीचे निर्धारित दरों पर अति-विराम की अवधि के लिए सामान्य बर्थ किराये के अलावा दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार वसूल किए जाएंगे:-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	विदेशगामी पोत (अ0डा0 में)	तटीय पोत (रु0 में)
1.	6 घंटों तक	प्रति जीआरटी/ प्रति घंटा	0.009	0.2363
2.	6 घंटों से अधिक और उसके बाद	- वही -	0.018	0.4725

2.1.4. घटक वार प्रति पोत प्रतिदिन आउटपुट दरें

	घटक	टीपीडी
समूह क	लौह अयस्क (कोन्), लौह अयस्क गुट्टिकाएं	16000
समूह ख	चूना पत्थर, जिप्सम, पिग आयरन, बाक्साइट, स्टीम कोल, ल्यूमिनेट सैंड, कोयला	10000
समूह ग	उर्वरक, पेट कोक, एसएम ऑर, एफएम ऑर, सीपी कोक, एन्थ्रासाइट कोयला, औद्योगिक नमक	8000

समूह घ	सीपी कोक (निर्यात), रॉक फास्फेट, सल्फर, लैम कोक, गेहूँ थोक, पीला मटर	6000
समूह ड	स्टील निर्यात, ग्रेफाइट एक्सपोर्ट, अमोनियम नाइट्रेट, जम्बो बैग	4000
समूह च	अन्य	4000

टिप्पणियाँ:

यदि कोई पोत कार्गो की कमी/अपर्याप्त कार्गो, अनियमित स्टोवेज, जलयान के गियर के खराब होने और निकासी व्यवस्थाओं की कमी के कारण कम हुकों के साथ कार्य करता है तो इसे पोत के गैर-निष्पादन/पोत के कम निष्पादन के रूप में माना जाएगा।

2.2. पोतों को जल की आपूर्ति के लिए प्रभार:

मद सं.	विवरण	इकाई	विदेशगामी पोत (अ0डा0 में)	तटीय पोत (रु0 में)
1.	तट पर पोतों को साफ जल की आपूर्ति	प्रति 1000 लि0 अथवा उसका भाग	अ.डा. 6 न्यूनतम प्रभार डॉलर 30 के अधीन	रु0 157 न्यूनतम प्रभार रु0 784 के अधीन
2.	घाट दीवारों, जेट्टियों और मूरिंगों पर नाव द्वारा पोतों को साफ जल की आपूर्ति	प्रति 1000 लि0 अथवा उसका भाग	अ.डा. 9 न्यूनतम प्रभार डॉलर 45 के अधीन	रु0 235 न्यूनतम प्रभार रु0 1175 के अधीन

खंड - 3
कार्गो संबंधित प्रभार

3.1. घाटशुल्क:

मद सं.	नामपद्धति	इकाई	दर (रु0 में)	
			तटीय कार्गो से इतर	तटीय कार्गो
1.	सभी प्रकार के कोयला (ताप कोयला से इतर), कोक और कोयला तार पिच	टन	45.00	27.00
2.	अल्यूमीनिया (बल्क)	टन	56.25	33.75
3.	अल्यूमीनियम, अल्यूमीनिया सा इनगोट्स, अल्यूमिना बिलेट्स और अल्यूमिना उत्पाद	टन	37.00	22.20
4.	अस्फाल्ट/बिटूमेन, बेरिट्स और फेल्डस्पर, सीमेंट क्लिंकर (सीमेंट सहित)	टन	31.00	18.60
5.	मैंगनीज अयस्क	टन	25.00	15.00
6.	ब्लॉस्ट फरनेस स्लैग, बेंटोनाइट, डोलोमाइट, चिप्स, फ्लाई एश और रिवर सैंड	टन	25.00	15.00
7.	केल्सिनाइड पेट्रोलियम कोक	टन	57.00	57.00
8.	कास्टिक सोडा	प्रति के.एल.	47.00	28.20
9.	सेरेल्स, खाद्यान्न, दालें और चीनी	टन	37.00	22.20
10.	चार्ज क्रोम, फेरो मैंगनीज, फेरो सिलिकॉन, सिलिकॉन मैंगनीज, हाई कार्बन फेरो क्रोम और अन्य अयस्क	टन	63.00	15.75
11.	रसायन	टन	88.20	53.00
12.	खाद्य तेल	के.एल.	27.00	16.20
13.	इलैक्ट्रिकल सामान (प्रतिशत में)	यथामूल्य	0.46%	0.28%
14.	उर्वरक (एमओपी सहित)	टन	50.00	30.00
15.	ग्रेनाइट ब्लॉक्स और मारबल्स	टन	61.00	36.60
16.	जिप्सम	टन	45.00	27.00
17.	लेमेनाइट रेत	टन	22.00	13.20
18.	लौह अयस्क	टन	30.00	30.00
19.	लौह अयस्क गुट्टिकाएं	टन	30.00	30.00
20.	चूनापत्थर	टन	46.00	27.60
21.	बाक्साइट	टन	40.00	24.00
22.	द्रव अमोनिया, मोल्टेन सल्फर, रॉक फास्फेट और सल्फर	टन	50.00	30.00
23.	मशीनरी	यथामूल्य	0.24%	0.14%
24.	मोलासेस	के.एल.	42.00	25.20
25.	सोया, रेप बीज आदि जैसे सभी प्रकार के तेल एक्स्ट्रैक्शन्स	टन	18.00	10.80
26.	पिग ऑयरन	टन	47.00	28.20
27.	आर.आर. मेटिरियल्स	टन	50.00	30.00
28.	इस्पात उत्पाद (स्क्रैन सहित) - सभी किस्में	टन	58.00	34.80
29.	स्टाइरेन मोनोमर	टन	104.00	62.40
30.	ताप कोयला	टन	25.00	25.00
31.	लकड़ी के लट्ठे और लकड़ी की वस्तुएं	घन मी0	38.00	22.80
32.	एफओबी/सीआईएफ मूल्य तक वाले अवशिष्ट सामान और रु0 1000/- प्रति टन शामिल	टन	19.00	11.40
33.	रु0 1000/- प्रति टन से अधिक मूल्य वाले अवशिष्ट सामान	टन	76.00	45.60

टिप्पणियां:

- (1). किसी कार्गो को 'अवशिष्ट सामान' के रूप में वर्गीकृत करने से पहले प्रासंगिक सीमाशुल्क वर्गीकरण का अवलोकन करें और देखें कि क्या इस कार्गो को ऊपर दी गई अनुसूची में उल्लिखित विशिष्ट श्रेणियों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- (2). गोदियों में प्रवेश करने वाले सामानों पर घाटशुल्क प्रभार प्रभाय है भले ही वे नौभरण न किए जाएं। तथापि, नौभरण के लिए गोदियों में लाया गया ज्यादा कार्गो जो नौभरण नहीं किया गया, घाटशुल्क प्रभाय नहीं होगा यदि कार्गो को नौभरण के 24 घंटों के अन्दर हटा लिया जाता है।
- (3). विविध प्रकार के सामानों वाले पैकेजों पर प्रभार वैयक्तिक सामानों पर लागू दर वसूल किया जाएगा।
- (4). आयातों पर यथामूल्य घाटशुल्क सीआईएफ मूल्य पर परिगणित किया जाएगा; निर्यातों पर एफओबी मूल्य पर; और तटीय कार्गो पर तटीय सामानों के बिल में विनिर्दिष्ट मूल्य पर परिगणित किया जाएगा। तटीय सामान प्रवेश/नौभरण बिल/बिल के सीमाशुल्क बिल घाटशुल्क प्रयोजन के लिए कार्गो के मूल्य का निर्धारण करने के लिए मुख्य दस्तावेज होंगे और जहां यह उपलब्ध न हों, मूल्य उतराई/बिल आदि के बिल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

3.2. विनिर्दिष्ट मामलों के लिए घाटशुल्क प्रभार

निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मामलों में, घाटशुल्क प्रभार खंड 3.1 में यथा विनिर्दिष्ट प्रभाय होंगे:

- (i). पोत के बोर्ड पर किए गए क्राफ्टों पर।
- (ii). परित्यक्त सामानों पर।
- (iii). पैकेज के अभिनिहित विवरण पर भले ही वे खाली अथवा अंशतः खाली उतारे गए हों।

3.3. विपत्ति में पोतों से सामानों पर घाटशुल्क प्रभार

मद सं.	विवरण	देय प्रभार
1.	विपत्ति में पोतों से उतारा गया अन्य पत्तनों का कार्गो	खंड 3.1 में यथा विनिर्दिष्ट
2.	कार्गो जो निर्यात घाटशुल्क पहले ही भुगतान कर चुका है परंतु गंतव्य तक नहीं पहुंचाया गया है।	कोई घाटशुल्क नहीं
3.	वीएसपीएल के परिसर में छोड़े बिना पुनः भरण अन्य पत्तनों का कार्गो	नौभरण के समय कोई घाटशुल्क नहीं

3.4. पोतांतरण कार्गो पर प्रभार

मद सं.	विवरण	देय प्रभार
1.	एक पोत से उतारे गए और बाद में दूसरे पोत पर चढ़ाए गए कार्गो पर	लागू घाटशुल्क का 150%

टिप्पणियां:

- (1). विदेशी पत्तन से कार्गो, जो भारतीय पत्तन 'ख' को अनुवर्ती पोतांतरण के लिए भारतीय पत्तन 'क' पर पहुंचता है, से इसके तटीय नौचालन के लिए प्रासंगिक रियायती प्रभार वसूल किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, तटीय नौचालन के लिए अनुमत पोत द्वारा भारतीय पत्तनों से/को ले जाया जाने वाला कार्गो रियायत के लिए पात्र होगा।
- (2). तटीय कार्गो के लिए निर्धारित रियायती प्रशुल्क विदेशी पत्तन से/को आगमन/प्रस्थान पर लदाई/उतराई के प्रचालनों पर लागू नहीं होगा। रियायती कार्गो संबंधित प्रभार केवल इसके तटीय नौचालन से संबंधित परेषण के प्रहस्तन के लिए प्रभाय होगा।

3.5. विलंबशुल्क प्रभार (आयात/निर्यात/पोतांतरण):

निःशुल्क दिनों की समाप्ति के बाद कार्गो पर विलंबशुल्क प्रभार प्रभाय होंगे जोकि निम्नवत् हैं:

मद सं.	विवरण	(दर रु० में)
1.	निःशुल्क अवधि के बाद प्रथम दस दिनों के लिए	रु० 12.00 प्रति टन/घन मीटर अथवा उसका भाग प्रतिदिन अथवा उसका भाग के लिए
2.	उसके बाद	रु० 24.00 प्रति टन/घन मीटर अथवा उसका भाग प्रतिदिन अथवा उसका भाग के लिए

टिप्पणियां:

- (1). उन सामानों के मामले में जिसके लिए 'यथामूल्य' आधार पर घाटशुल्क प्रभार वसूल किए जाते हैं, विलंबशुल्क 'प्रति टन' आधार पर प्रभाय होगा। सभी अन्य मामलों में, विलंबशुल्क 'प्रति टन' आधार पर अथवा 'प्रति घन मीटर' आधार पर, एकत्रित घाटशुल्क प्रभारों के आधार पर जैसी स्थिति हो, पर प्रभाय होगा।
- (2). सभी सामानों को निःशुल्क भंडारण स्वीकृत किया जाएगा जैसाकि नीचे दिया गया है:-
 - (i). **निर्यात**
वीएसपीएल परिसर में सामानों की प्राप्ति की वास्तविक तारीख से 20 दिन (सीमाशुल्क अवकाश दिवस और वीएसपीएल के गैर-कार्य दिवस अतिरिक्त)।
 - (ii). **आयात**
 - (क). अंतिम उतराई के पूरा होने के दिन के अगले दिन से और साल्वजड सामानों के मामले में, साल्वजड के दिन के अगले दिन से तीन दिन (सीमाशुल्क अवकाश दिवस और वीएसपीएल के गैर-कार्य दिवस अतिरिक्त)।
 - (ख). जहां सामान पोत द्वारा लाइटरों, बाजों अथवा अन्य फ्लोटिंग क्राफ्टों में उतारे जाते हैं, निःशुल्क दिवसों की गणना घाट पर अथवा जेट्टी पर लाइटरों, बाजों अथवा अन्य फ्लोटिंग क्राफ्ट से सामानों की उतराई पूरी होने के दिन से की जाएगी।
 - (iii). **पोतांतरण कार्गो**
वीएसपीएल परिसर से कार्गो की उतराई के अंतिम दिन से 10 दिन (सीमाशुल्क अवकाश दिवस और वीएसपीएल के गैर-कार्य दिवस अतिरिक्त)।

(3). **बंधक बनाए गए सामानों पर विलंबशुल्क:**

निम्नलिखित अवधियां किसी अवधि की गणना के अतिरिक्त होंगी जिसके लिए इस नियम के अधीन निःशुल्क भंडारण स्वीकृत किया गया है अर्थात:

- (i). कोई अवधि जिस दौरान सामानों को नष्ट किए जाने से पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया जाता है।
- (ii). अवधियां जिस दौरान सामानों को जाँच की सामान्य प्रक्रिया से इतर एनालेटिकल अथवा तकनीकी जाँच वाले विशेष परीक्षण के लिए सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा कब्जे में लिया जाता है और सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आयातकों/निर्यातकों की ओर किसी चूक अथवा लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हुआ है ;
- (iii). जहां सामानों को आयात/निर्यात नियंत्रण औपचारिकताओं के लिए सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा कब्जे में लिया जाता है और सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आयातक/निर्यातक की ओर से किसी चूक अथवा लापरवाही के कारण विलंब नहीं हुआ है,

कब्जे में रखे जाने की ऐसी अवधि के लिए, विलंबशुल्क प्रभार निम्नवत् वसूल किया जाएगा:-

प्रथम 45 दिन	निःशुल्क
46 दिन से 90 दिन	वास्तविक विलंबशुल्क प्रभारों का 50 प्रतिशत
90 दिनों के बाद	वास्तविक विलंबशुल्क प्रभारों का 100 प्रतिशत

पूर्ण दर पर वास्तविक विलंबशुल्क प्रभार 45 दिनों के बाद यथा लागू उपयुक्त स्लैब पर दरमान के अनुसार परिगणित किया जाएगा और उपर्युक्त रियायती दर प्रभार्य पूर्ण विलंबशुल्क प्रभारों पर लागू की जाएगी।

प्रथम 45 दिन निम्नवत् परिगणित किए जाएंगे:-

- (क). प्रथम 45 दिन निःशुल्क दिवसों की समाप्ति के बाद यदि कार्गो निःशुल्क दिवसों की समाप्ति से पहले सीमाशुल्क द्वारा कब्जे में लिया जाता है, और
- (ख). प्रथम 45 दिन कब्जे में लिए जाने की तारीख से यदि कार्गो विलंबशुल्क प्रभारों के प्रोद्भूत होने के बाद सीमाशुल्क द्वारा कब्जे में लिया जाता है।

उपर्युक्त रियायत प्राप्त करने के लिए नज़रबंदी प्रमाणपत्र सामानों की निकासी की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

- (iv). कार्गो पर विलंबशुल्क प्रभार उस अवधि के लिए प्रोद्भूत नहीं होगा जब उपयोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर वीएसपीएल अपने ऊपर आरोप्य कारणों से कार्गो की सुपुर्दगी/नौभरण की स्थिति में नहीं हो।

- (v). यदि प्रचालन क्षेत्र उपयोक्ता को किराये पर पट्टे पर दिया जाता है तो उसमें भंडारित कार्गो पर विलंबशुल्क दोबारा वसूल नहीं किया जाएगा।

3.6. **भंडारण प्रभार: (खुला चट्टा क्षेत्र)**3.6.1. **निःशुल्क अवधि :**

- (क). **निर्यात:**

वीएसपीएल परिसर में सामानों की प्राप्ति की तारीख से 1 दिन निःशुल्क अवधि (सीमाशुल्क अवकाश दिवस और वीएसपीएल के गैर-कार्य दिवस अतिरिक्त) स्वीकृत की जाएगी।

- (ख). **आयात:**

पोत से इकाई की अंतिम उतराई के पूरा होने के अगले दिन से 1 दिन निःशुल्क अवधि (सीमाशुल्क अवकाश दिवस और वीएसपीएल के गैर-कार्य दिवस अतिरिक्त) स्वीकृत की जाएगी।

3.6.2. **निःशुल्क अवधि के बाद प्रभार्य भंडारण प्रभार :**

विवरण	इकाई	दर (रु० में)
निःशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद प्रथम पखवाड़े के लिए	प्रति टन अथवा उसका भाग प्रति पखवाड़ा	रु० 09
दूसरा पखवाड़ा		रु० 12
तीसरा पखवाड़ा		रु० 18

टिप्पणियां:

- (1). 45 दिनों के बाद भंडारण प्रभार रु० 24/- प्रति टन प्रतिदिन होंगे।

3.7. **नौभरण प्रभार:**

वस्तुएं	दर रु० में प्रति टन	
	तटीय कार्गो से इतर	तटीय कार्गो
शुष्क बल्क:		
उर्वरक और एफआरएम	50.00	30.00
केल्साइन्ड पेट कोक और मेट कोक	36.00	21.60
पेट कोक	36.00	36.00
लौह अयस्क	36.00	36.00
कोकिंग कोयला	36.00	21.60
सीमेंट क्लिंकर	40.00	24.00
फेल्डस्फर	20.00	12.00

ताप कोयला	60.00	60.00
स्टीम कोयला	36.00	21.60
अल्युमिनेटेड रेल	36.00	21.60
चूना पत्थर	36.00	21.60
जिप्सम	36.00	21.60
खाद्यान्न	50.00	30.00
स्लेग	36.00	21.60
स्क्रैप	46.00	27.60
कच्ची चीनी	40.00	24.00
बाक्साइट	40.00	24.00
मैगनीज अयस्क	40.00	24.00
अवशिष्ट सामान / कार्गो	40.00	24.00
ब्रेक-बल्क:		
स्टील	90.00	54.00
पिग आयरन	55.00	33.00
लकड़ी के लट्टे	120.00	72.00
ग्रेनाइट	135.00	81.00
अन्य	60.00	36.00

टिप्पणियां:

- (1). पिकिंग, लिफ्टिंग, होस्टिंग, मेन्यूवेरिंग, पोजिशनिंग, लोअरिंग, पोत के होल्डस/हैचों/कोम्बलिंग्स/विंग स्पेसों/डैकों के बीच और डैकों से/अथवा पर कार्गो बल्क अथवा ब्रेक बल्क की तब तक उतराई और लदाई जब तक कार्गो घाट पर अथवा पोत पर, जैसी स्थिति हो, सुरक्षित तरीके से रख नहीं दिया जाता है, जैसी किसी अथवा सभी गतिविधियां प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रभार प्रभार्य है।
 - (2). बल्क मेटिरियल प्रहस्तन प्रणाली के अधीन प्रहस्तित कार्गो पर अनुसूची 3.7 में निर्धारित नौभरण प्रभार अलग-से वसूल नहीं किए जाएंगे।
- 3.8. तट प्रचालनों के लिए प्रभार:**

(दर रु० में प्रति टन अथवा उसका भाग)

तटीय कार्गो से इतर	तटीय कार्गो
81.00	48.60

टिप्पणी : तटीय कार्गो के लिए निर्धारित रियायती प्रशुल्क ताप कोयला, कच्चे तेल सहित पीओएल, लौह अयस्क गुडिटकाओं पर लागू नहीं होगा।

खंड - 4**उपस्कर की तैनाती के लिए प्रभार****4.1. 104 टन हारबर मोबाइल क्रेन**

दर रु० में प्रति टन अथवा उसका भाग (रु० में)	
तटीय कार्गो से इतर	तटीय कार्गो
रु० 64.00 प्रति टन अथवा उसका भाग परंतु न्यूनतम रु० 3,20,000/- प्रति पारी प्रति क्रेन	रु० 38.40 प्रति टन अथवा उसका भाग परंतु न्यूनतम रु० 1,92,000/- प्रति पारी प्रति क्रेन

टिप्पणियां:

- (1). तटीय कार्गो के लिए निर्धारित रियायती प्रशुल्क ताप कोयला, कच्चे तेल सहित पीओएल, लौह अयस्क गुडिटकाओं पर लागू नहीं होगा।
- (2). इस निर्धारित प्रभार में केवल क्रेनों के कार्य के लिए प्रभार शामिल है। क्रेन की पट्टों के भीतर स्लिंगिंग और अनस्लिंगिंग तथा बोझों को हिलाना किराये की जिम्मेदारी होगी।
- (3). मोबाइल हारबर क्रेन के उपयोग के लिए प्रभारों के अलावा, रु. 12.60 प्रति टन के स्टीवडोरिंग प्रभार स्टीवडोरिंग सेवाओं के लेखा पर उपयोक्ताओं से संग्रहीत किए जाएंगे जिसमें लेबर की तैनाती और उपस्कर जैसे पे लोडर, फ्रंट एंड लोडर, होल्डस में एक्सकवेटर्स, सिग्नल मैन/सुपरवाइजर/सुरक्षा विशेषज्ञों की तैनाती और सेव ऑल नेट्स की आपूर्ति शामिल होगी। ताप कोयले, कच्चे तेल सहित पीओएल, लौह अयस्क तथा लौह अयस्क गुडिटकाओं से इतर तटीय कार्गो के मामले में, मोबाइल हारबर क्रेन के उपयोग के अलावा स्टीवडोरिंग सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोक्ताओं हेतु प्रति टन दर पर रु. 7.60 प्रति टन वसूल किया जाएगा।

4.2. रेलवे साइडिंग प्रशासन हेतु प्रभार और अनुस्क्षण प्रभार:

विवरण	दर रु. में प्रति टन अथवा उसका भाग
रैकों के माध्यम से प्रहस्तित सभी कार्गो	6.00

4.3. धूल निवारण प्रणाली प्रभार:

मद सं.	विवरण	इकाई	दर प्रति टन अथवा उसका भाग (रु० में)
प्रदूषण नियंत्रण प्रभार जल छिड़काव के लिए			
1.	शुष्क बल्क के लिए	प्रति टन अथवा उसका भाग	3.00
2.	ब्रेक बल्क के लिए	प्रति टन अथवा उसका भाग	1.00

4.4. भारतोलन प्रभार:

मद सं.	विवरण	इकाई	दर प्रति टन अथवा उसका भाग (रु० में)
1.	80 टन इलैक्ट्रॉनिक रोड धर्मकाँटा	प्रति टन	5.00
2.	120 टन इलैक्ट्रॉनिक चलित धर्मकाँटा	प्रति टन	6.00

टिप्पणी: यह सेवा वैकल्पिक सेवा है और उपयोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

4.5. बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए मेटेरियल प्रहस्तन प्रणाली:

मद सं.	विवरण	दर प्रति टन अथवा उसका भाग (रु० में)
1.	104 मी0ट0 हारबर मोबाइल क्रेनों से कार्गो की उताराई	64
2.	1200 टीपीएच मोबाइल होपर्स - 2 सं. ट्रक लदाई के लिए बैल्ट फीडरों और टेलेस्कोपिक स्पाउट के साथ	13
3.	कन्वेयर और स्टेकर्स - 2 सं. 1600 टीपीएच की दर से स्टेकिंग के लिए	47
4.	रिक्लेमिंग और वैगन लदाई 1050 टीपीएच की दर से	32
5.	नमूना प्रणाली	3
6.	अन्य सेवाएं - समतलीकरण, लेबल लगाना और फोटोग्राफी करना	12
	जोड़:	171.00

4.6. तरपाउलिन कवरेज प्रभार:

विवरण	दर प्रति टन अथवा उसका भाग
सभी प्रहस्तित कार्गो सिवाय उन कार्गो के जो हुक प्वाइंट से डिलीवर किए जाते हैं	रु० 6.00

टिप्पणी: वीएसपीएल धर्मकांटों पर प्रतिवेदित रिकार्ड अंतिम होगा और टर्मिनल में प्रेषित और प्राप्त कार्गो के टनों के निर्धारण करने के लिए समावेशी है।

खंड - 5

अन्य सेवाओं के लिए प्रभार

5.1. आगंतुक प्रवेश पत्र:

	वार्षिक	मासिक	दैनिक
(क). प्रति आवेदन	रु० 200	रु० 50	रु० 20
(ख). प्रति पुर्नस्थापन	रु० 50	रु० 50	रु० 20

5.2. वाहन प्रवेश पत्र (कार्गो की सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए टर्मिनल में प्रवेश करने वाले वाहनों से इतर अन्य वाहनों के लिए):

प्रत्येक प्रवेश रु० 75

5.3. फोटोग्राफी:

(i).	फिल्म शूटिंग और फोटोग्राफी	रु० 25000 प्रति घंटा
(ii).	आयात/निर्यात सामानों के फोटो लेना	रु० 25000 प्रतिदिन
(iii).	क्रूज और अन्य के फोटो लेना	रु० 25000 प्रतिदिन
(iv).	विडियोग्राफी (प्रचालन गतिविधियों से संबंधित)	रु० 12500 प्रति घंटा

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th June 2020

No.TAMP/11/2020-VSPL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the revised Scale of Rates disposing of the proposal of the Vizag Seaport Private Limited for general revision of its Scale of Rates for the vessels handled by it at berths EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**Case No.TAMP/11/2020-VSPL****Vizag Seaport Private Limited**

Applicant**QUORUM:**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R(Passed on this 1st day of June 2020)

This case relates to the proposal received from the Vizag Seaport Private Limited (VSPL) for general revision of its Scale of Rates (SOR) for the vessels handled by it at berths EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2.1. The VSPL has, vide its letters dated 31 January 2020 and 11 February 2020, filed a proposal following Tariff Policy, 2019 for general revision of its SOR. The proposal dated 31 January 2020 and 11 February 2020 was taken on consultation with the VPT and the concerned users/ user organisations. The comments furnished by M/s.Steel Authority of India Limited (SAIL) was forwarded to the VSPL as feedback information. The VSPL has responded to the comments of SAIL.

2.2. On scrutiny of the proposal, the VSPL and VPT were requested to furnish additional information/ clarifications vide our letter dated 3 March 2020. A joint hearing in this case was held on 26 February 2020. At the joint hearing, the VSPL, the VPT and the concerned users/ organisation bodies have made their submissions.

2.3. The VSPL has furnished information/ clarification sought by us vide its e-mail dated 12 March 2020 and subsequent e-mail dated 16 March 2020. While responding to the additional information/ clarifications, the VSPL has furnished revised proposal comprising revised Form-1 (ARR) and revised Form-4 (Revenue Estimation).

2.4. The VPT has furnished information/ clarification sought by us vide its e-mail dated 18 March 2020.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, this Authority has passed a Speaking Order disposing of the proposal filed by the VSPL for general revision of its SOR under Tariff Guidelines, 2019.

4.1. The Speaking Order passed by this Authority is in the process of notification in the Gazette of India and it is likely to take some more time for notification. Since notification of the detailed Speaking Order will take some time, this Authority notifies the revised SOR of the VSPL which is attached as **Annex**. As stated in the SOR at Note no.19 under Section 1.2, the next annual indexation of SOR shall be from the date the revised SOR comes into effect. In short, annual indexation of 1.13% announced by this Authority for the year 2020-21 should be applied to the revised SOR and then implemented.

4.2. The Speaking Order passed by this Authority will be notified separately and communicated to the VSPL, the VPT and the relevant users/ user organisations in due course of time.

4.3. The revised SOR will come into force after expiry of 30 days from the date of notification of this Order notifying the SOR in the Gazette of India and shall be valid for a period of 3 years from the date the revised SOR comes into effect.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./65/2020-21]

VIZAG SEAPORT PRIVATE LIMITED**SCALE OF RATES****SECTION - 1****1.1. Definitions - General**

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (1). "VPT" means Visakhapatnam Port Trust (VPT).
- (2). "VSPL" means Vizag Seaport Private Limited, a Company incorporated in India, its successors and assignees.
- (3). "Coastal vessel" means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the competent authority.
- (4). "Foreign-going vessel" means any vessel other than coastal vessel.
- (5). "Day" shall mean the period starting from 6.00 A.M. of a day and ending at 6.00 A.M. on the next day.
- (6). "Hirer" shall mean all users of any of the appliances provided by VSPL.

1.2. General Terms & Conditions

- (1). Status of a vessel as borne out by its certification issued by the Customs or Director General of Shipping is the relevant factor for deciding whether the vessel is 'foreign-going' or 'coastal'. Foreign going vessels permitted to undertake coastal voyages and the cargo/container carried by them will also qualify for the concession in respect of such permissible voyages.
- (2).
 - (i). A foreign-going vessel of Indian Flag having a General Trading License can convert to Coastal run on the basis of a Customs Conversion Order.
 - (ii). A foreign-going vessel of Foreign Flag can convert to coastal run on the basis of Coastal Voyage License issued by the Director General of Shipping.
 - (iii). In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
 - (iv). In case of such conversion coastal rates shall be chargeable only till the vessel completes coastal cargo discharging operations; immediately thereafter, foreign-going rates shall be chargeable by the discharge ports.
 - (v). For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal License from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.
- (3). Berth hire charges shall be levied on ship owners / steamer agents. Wherever rates have been denominated in US dollar terms, the charges shall be recovered in Indian Rupees after conversion of US currency to its equivalent Indian Rupees at the Market Buying rate notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its associates or any other Public Sector Banks as may be specified from time to time. The day of entry of the vessel into the port limit shall be reckoned as the day for such conversion.
- (4). A regular review of exchange rate shall be made once in thirty days from the date of arrival of the vessels in cases of vessels staying in the VSPL for more than thirty days. In such cases the basis of billing shall change prospectively with reference to the appropriate exchange rate prevailing at the time of review.
- (5). No refund shall be made if the amount refundable is less than ₹100/-. This limit shall also be applied for supplementary claims for under charges.
- (6). For the purpose of calculating the dues, the unit by weight shall be 1 tonne or 1,000 kilograms, the unit by volume measurement shall be 1 cubic metre and the unit by capacity measurement for liquids in bulk shall be 1,000 litres.
- (7). In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions upto 0.5 be taken as 0.5 unit and fractions of 0.5 and above be treated as one unit, except where otherwise specified.
- (8). Interest on delayed payments / refunds

- (i). The user shall pay penal interest on delayed payments of any charge under this Scale of Rates. The rate of interest will be 15.85%.
- (ii). Likewise, the VSPL shall pay penal interest @ 15.85% per annum on delayed refunds.
- (iii). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the VSPL. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services as stipulated in the Major Port Trusts Act and/or where payment of charges in advance is prescribed in this Scale of Rates.
- (iv). The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
- (9). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of each bill.
- (10). All goods landed within the limits of the VSPL shall be assessed on import application and the fees shall be paid before the goods are removed.
- (11). All goods intended for shipment shall be assessed on export application and the fees shall be paid before the goods are shipped.
- (12).
 - (i). The vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.
 - (ii). The cargo related charges for all coastal cargo, other than thermal coal, POL including crude oil, Iron Ore and iron pellets, should not exceed 60% of the normal cargo related charges.
 - (iii). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.
 - (iv). Cargo from a foreign port which reaches an Indian Port 'A' for subsequent transshipment to Indian Port 'B' will be levied the concession charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from / to Indian Ports carried by vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for concession.
- (13). System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC)
 - (i). A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading Licence can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order. Such vessel that converts into coastal run based on the Customs Conversion Order at her first port of call in Indian Port, no further custom conversion is required, so long as it moves on the Indian Coast.
 - (ii). A foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a Licence for Specified Period or voyage issued by the Director General of Shipping and Custom Conversion order.
- (14). Criteria for levy of vessel related charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate
 - (i). In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
 - (ii). In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of Indian Port; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
 - (iii). For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.
 - (iv). Coastal goods transported between an Indian port on east coast and another Indian port on west coast or vice versa, by a vessel through the territorial waters of Sri Lanka, whether or not calling any port in Sri Lanka in between and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
 - (v). Coastal goods transported between an Indian port on east coast and a river port in India or vice versa, by a vessel through a route passing through the Bangladeshi waters and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (15). Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate

- (i). Foreign going Indian vessel having General Trading License issued for 'worldwide and coastal' operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:-
- Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
 - Not Converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
- *The Central Board of Excise & Customs - Circular No 15/2002-Cus dated 25th February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian Port to another Indian Port in India, in Indian flag foreign going vessels without any Custom Conversion.
- (ii). In case of Foreign flag vessels converted to coastal run on the basis of a License for Specified period or voyage issued by the Director General of Shipping and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from Indian Port and destined from any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo / container.
- (16). In case of damages to crafts, berths, fenders, bollards and other shore equipments, tools and plants, the hirer shall deposit anticipated amount for all such charges for damages as assessed by the VSPL immediately on receipt of the demand, pending determination of the actual charges. In case of total loss, the hirer shall deposit the book value or market value of the crafts or appliances or properties of the VSPL whichever is higher. The VSPL shall refund the cost of damage received from the insurance company on admittance of its claim to the hirer from whom the cost of damage of the equipment was recovered, along with interest as applicable.
- (17). Users will not be required to pay charges beyond a reasonable level attributable to the VSPL.
- (18). In order to decongest the ports and encourage exporters / importers to utilize the port services beyond regular hours, lower charges may be levied for cargo and vessels related services as well as special discount may be offered in port charges for the services rendered after regular hours.
- [This condition is incorporated in pursuance to the MOS letter No.PD/14033/101/2015-PD.V dated 3 February 2016 based on which a common adoption Order No.TAMP/14/2016-Misc dated 16 February 2016 is approved by this Authority].
- (19). The SOR is subject to automatic annual indexation to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by this Authority occurring between 1st January to 31st December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of following year. The next annual indexation will be from the date the revised SOR comes into effect. The indexed SOR should be intimated by the VSPL to the VPT, concerned users and to this Authority.

SECTION - 2

VESSEL RELATED CHARGES

2.1 BERTH HIRE

2.1.1 Schedule of Berth Hire for Vessels

DESCRIPTION	Rate per GRT per hour or part thereof	
	Foreign-going vessel (in US \$)	Coastal vessel (in ₹)
Berth EQ 8: Vessels discharged using Bulk Material Handling System.	0.0099 subject to a minimum of US\$ 198	0.2595 subject to a minimum of ₹5219/-
Berth EQ 8 & EQ 9	0.0090 subject to a minimum of US\$ 180	0.2359 subject to a minimum of ₹4745/-

General Notes relating to Berth hire

- Berth hire for the period of 1 hour in which the vessel changes its status can be charged on the basis of the status of the vessel at the beginning of the relevant block of 1 hour period.
- The period of berth hire shall be calculated from the time mooring in the berth is completed.
- No berth hire charges shall be payable for the period when loading/unloading operations cannot be carried out due to non-availability or break down of plant equipment or any other reasons including power failure attributable to VSPL.

- (4). (i). There shall be a time limit beyond which berth hire shall not apply. The berth hire shall cease to apply 4 hrs after the time of vessel signalling its readiness to sail.
- (ii). The time limit of 4 hrs prescribed for cessation of berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favourable tidal condition or on account of inclement weather or due to absence of night navigation facilities.
- (iii). The Master/Agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favourable tidal and weather condition.
- (iv). There shall be a penal berth hire equal to one day's berth hire charge for a false signal.
- “False signal” would be when a ship signals readiness and asks for a pilot in anticipation even when she is not ready for un berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such other reasons attributable to the vessel. This excludes the signaling readiness when a ship is not able to sail due to unfavorable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions”.
- (5). Ousting Priority / Priority berth Hire:
- (i). For providing the "ousting priority" to any vessel, a fee equivalent to berth hire for a single day (24 units of one hour each) or 100 % of the berth hire calculated for the total period of actual stay at the berth, whichever is higher, shall be levied.
- (ii). For "priority berthing" to any vessel, a fee equivalent to berth hire for a single day (24 units of one hour each) or 75% of the berth hire, calculated for the total period of actual stay at the berth whichever is higher, shall be levied.
- (iii). Where a working berth is already vacant for want of a vessel and a vessel having priority / ousting priority is berthed at that vacant berth when there are no vessels waiting at roads for berthing prior to its arrival or when the vessels waiting at roads are not ready in all aspects (unreadiness of documents/lack of cargo/lack of ullage/hatch cleaning/ receivers or shippers not willing to work), it is not treated as priority berthing and in such cases no priority berthing charges will be levied.
- (iv). The fee for according priority/ousting priority as indicated above shall be charged from all the vessels except the following categories:
- Vessels carrying cargo on account of Ministry of Defence.
 - Defence vessels coming on goodwill visits.
 - Vessels hired for the purpose of Antarctica expedition by Department of Ocean Development.
 - Any other vessel for which special exemption has been granted by the Ministry of Shipping
 - Coastal vessels which will be accorded priority berthing shall not be liable to pay priority berthing charges.
- Note:** The VSPL is governed by clause 3.9 (b) of the License Agreement which provides that the Licensee (VSPL) may with the prior written approval of the Licensor (VPT) offer preferential or priority berthing to any one or more shipping lines or vessel owners / operators to optimize the use of the berths and equipment.

2.1.2. Penal Berth Hire Charges

Penal berth hire charges shall become payable for over-stayal of the vessel beyond the berth occupancy as per the norms given in clause 2.1.4 if the norms cannot be achieved due to any reasons attributable to the vessel.

- (i). Vessel shall be permitted to occupy the berth after completion of cargo operation without attracting penal berth hire charges for period mentioned below:
- | | | |
|------|---|-------|
| (a). | Any vessel which requires “securing” | 4 hrs |
| (b). | Food Grains vessels requiring fumigation and Inerting | 4 hrs |
| (c). | In all other cases | 4 hrs |
- (ii). The berth occupancy for each vessel for the purpose of levy of penal berth hire charges shall be subject to the following conditions:
- (a). For deciding the period of stay of a vessel, number of shifts lost due to labour stoppage of work and labour holiday shall be excluded.

- (b). The shift in which the vessel is berthed shall not be deciding the vessels stay at berth since normally vessels are berthed in the middle of shift resulting in engagement of less number of hooks.
- (c). In case of new cargoes, average performance of three consignments shall be fixed as “NORM” tentatively which will be reviewed after six months for further refinement.
- (d). Any stoppage of work for reasons attributable to VSPL shall be excluded.
- (iii). (a). In case of supply of bunkers and or water through barges, the vessel shall be permitted to stay at berth without attracting penal berth hire for 4 hours.
- (b). In case of supply of water, the vessel shall be permitted to stay at berth without attracting penal berth hire for 4 hours from the time of placement of barge alongside the vessel.
- (c). Vessels taking water / bunker through sources other than barge will be permitted to stay for 4 hours from the time of completion of loading / unloading the cargo without attracting penal berth hire.

2.1.3. Penal berth hire charges shall be levied in addition to normal berth hire for the period of over-stayal at the rates prescribed below.

Sl. No.	Particulars	Unit	Foreign-going vessel (in US \$)	Coastal vessel (in ₹)
1.	Up to 6 hours	Per GRT/ Per Hour	0.009	0.2363
2.	Above 6 hrs. and there after	- do -	0.018	0.4725

2.1.4. Commodity wise per vessel per day output rates

	Commodity	TPD
Group A	Iron Ore (Conv), Iron Ore pellets	16000
Group B	Lime Stone, Gypsum, Pig Iron, Bauxite, Steam Coal, Illuminate Sand, Coal	10000
Group C	Fertilisers, Pet Coke, SM Ore, FM Ore, CP Coke, Anthracite Coal, Industrial Salt	8000
Group D	CP Coke (Exp), Rock Phosphate, Sulphur, Lam Coke, Wheat Bulk, Yellow peas	6000
Group E	Steel Export, Graphite Export, Ammonium Nitrate, Jumbo bags	4000
Group F	Others	4000

Notes:

If a vessel works with less number of hooks for reasons such as lack of / insufficient cargo, improper stowage, failure of ship's gear and lack of clearance arrangements; shall be deemed as non-performance / poor performance of the vessel:

2.2. CHARGES FOR SUPPLY OF WATER TO VESSELS:

Item No.	Description	Unit	Foreign-going vessel (in US \$)	Coastal vessel (in ₹)
1.	Supply of fresh water to vessels at Shore.	Per 1000 Ltrs. or part thereof	USD 6 subject to a minimum charge of \$ 30	₹157/- subject to a minimum charge of ₹784
2.	Supply of fresh water to vessels by Boat at Quay Walls, Jetties and Moorings.	Per 1000 Ltrs. or part thereof	USD 9 subject to a minimum charge of \$ 45	₹235/- subject to a minimum charge of ₹1175

SECTION - 3

CARGO RELATED CHARGES

3.1. WHARFAGE:

Item No.	Nomenclature	Unit	Rate (in ₹)	
			Other than coastal cargo	Coastal cargo
1.	All types of Coal (other than thermal coal), Coke and Coal tar pitch	Tonne	45.00	27.00
2.	Alumina (bulk),	Tonne	56.25	33.75

Item No.	Nomenclature	Unit	Rate (in ₹)	
			Other than coastal cargo	Coastal cargo
3.	Aluminium, Alumina Sow Ingots, Alumina Billets and Alumina products	Tonne	37.00	22.20
4.	Asphalt/bitumen, Barytes and Feldspar, Cement clinker (including cement)	Tonne	31.00	18.60
5.	Manganese Ore	Tonne	25.00	15.00
6.	Blast furnace slag, Bentonite, Dolomite chips, Fly Ash and River sand	Tonne	25.00	15.00
7.	Calcined petroleum coke	Tonne	57.00	57.00
8.	Caustic Soda	Per K.L.	47.00	28.20
9.	Cereals, food grains, Pulses and Sugar	Tonne	37.00	22.20
10.	Charge chrome, Ferro Manganese, Ferro Silicon Silicon Manganese, High carbon Ferrochrome, and other ores.	Tonne	63.00	15.75
11.	Chemicals	Tonnes	88.20	53.00
12.	Edible Oils	K.L.	27.00	16.20
13.	Electrical goods (in %)	Ad valorem	0.46%	0.28%
14.	Fertilizers (including MOP)	Tonne	50.00	30.00
15.	Granite Blocks & Marbles	Tonne	61.00	36.60
16.	Gypsum	Tonnes	45.00	27.00
17.	Ilemenite sand	Tonne	22.00	13.20
18.	Iron Ore	Tonne	30.00	30.00
19.	Iron Ore Pellets	Tonne	30.00	30.00
20.	Limestone	Tonne	46.00	27.60
21.	Bauxite	Tonne	40.00	24.00
22.	Liquid Ammonia, Molten Sulphur, Rock phosphate and Sulphur	Tonne	50.00	30.00
23.	Machinery	Ad Valorem	0.24%	0.14%
24.	Molasses	K.L.	42.00	25.20
25.	All types of Oil Extractions like Soya, Rape seed etc.,	Tonne	18.00	10.80
26.	Pig iron	Tonne	47.00	28.20
27.	R.R. materials:	Tonne	50.00	30.00
28.	Steel Products (including scrap) – all varieties	Tonne	58.00	34.80
29.	Styrene Monomar	Tonne	104.00	62.40
30.	Thermal Coal	Tonne	25.00	25.00
31.	Timber Logs & Wood items	Cu. M	38.00	22.80
32.	Unenumerated goods having FOB/CIF value upto and inclusion of ₹1000/- per tonne.	Tonne	19.00	11.40
33.	Unenumerated goods having value more than ₹1000/- per tonne.	Tonne	76.00	45.60

Notes:

- (1). Before classifying any cargo as 'un-enumerated goods' the relevant Customs classification shall be referred to find out whether the cargo can be classified under any of the specific categories mentioned in the Schedule given above.
- (2). Wharfage charges are leviable on goods entering the docks even if they are not shipped. However, for the excess cargo brought into docks for shipment but not shipped, no wharfage will be levied if the cargo is removed within 24 hours of shipment
- (3). Charges on packages containing articles of a miscellaneous character shall be levied at the rate applicable to the individual articles.
- (4). Advalorem wharfage on imports shall be calculated on CIF value; on the exports on FOB value; and on coastal cargo on value specified in the bill of coastal goods. Customs bills of entry/shipping bill/bill of coastal goods shall be the main documents for assessing the value of cargo for wharfage purpose and where it is not available, the value will be determined based on Bill of Lading/invoice etc.

3.2. WHARFAGE CHARGES FOR SPECIFIED CASES

In the following specified cases wharfage charges shall be levied as specified in Section 3.1.

- (i). On crafts carried on board the vessel.
- (ii). On goods abandoned.
- (iii). On the manifested description of package whether they are landed empty or partly empty.

3.3. WHARFAGE CHARGES ON GOODS FROM VESSELS IN DISTRESS

Item No.	Description	Charges Payable
1.	Cargo of other Ports landed from vessels in distress.	As specified in Section 3.1.
2.	Cargo that already paid export wharfage but has not been carried to destination.	No Wharfage
3.	Cargo of other Ports reshipped without having left the VSPL's premises.	No wharfage at the time of shipment.

3.4. CHARGES ON TRANSHIPMENT CARGOES

Item No.	Description	Charges Payable
1.	On cargo landed from one vessel and subsequently shipped to another vessel.	150% of the applicable Wharfage

Notes:

- (1). Cargo/container from a foreign port which reaches an Indian Port 'A' for subsequent transshipment to Indian Port 'B' will also qualify insofar as the concessional charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo/containers from/to Indian Ports carried by vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (2). The concessional tariff prescribed for coastal cargo does not apply to the operations of loading/unloading on arrival/departure from/to a foreign port. Concessional cargo related charges will be levied only for handling the consignment in related to its coastal voyage.

3.5. DEMURRAGE CHARGES (IMPORTS/ EXPORTS/TRANSHIPMENT):

The demurrage charges for cargo provided transit storage shall be levied on the cargoes after the expiry of free days as under.

Item No.	Description	(Rate in ₹)
1.	For the first ten days after the expiry of free period.	₹12.00 per tonne/Cu. meter or part thereof for every day or part thereof.
2.	Thereafter.	₹24.00 per tonne/Cu. meter or part thereof for every day or part thereof.

Notes:

- (1). In case of goods for which wharfage charges are collected on 'advalorem' basis, demurrage shall be levied on 'per tonne' basis. In all other cases demurrage shall be levied on 'per tonne' basis or 'per cubic metre' basis as the case may be based on the wharfage charges collected.
- (2). All goods shall be allowed free storage as indicated below:
 - (i). **Exports**
20 days (excluding Customs holidays and VSPL's non-working days) from the actual date of the receipt of the goods in the VSPL premises.
 - (ii). **Imports**
 - (a). Three days (excluding Customs holidays and VSPL's non-working days) from the day following the day of completion of final discharge and in the case of salvaged goods, from the day following the day of salvage.
 - (b). Where goods are landed by the vessel into lighters, barges or other floating crafts, the free days shall be calculated from the day of complete discharge of the goods from the lighters, barges or other floating craft, on the wharf or jetty.

(iii). **Transhipment Cargo**

10 days (excluding Customs holidays and VSPL's non-working days) from the last day of discharge of cargo from the VSPL premises.

(3). **Demurrage on goods detained:**

The following periods shall be excluded from the calculation of any period for which free storage is allowed under this rule viz.:

- (i). Any period during which goods are detained by the Health Officer before being destroyed.
- (ii). Periods during which the goods are detained by the Commissioner of Customs for the purpose of special examination involving analytical or technical test other than the ordinary process of appraisal and certified by the Commissioner of Customs to be not attributable to any fault or negligence on the part of the Importers/Exporters;
- (iii). Where goods are detained by the Commissioner of Customs on account of Import/ Export Control formalities and the delay is certified by the Commissioner of Customs to be not attributable to any fault or negligence on the part of the Importer/Exporter,

For such period of detention demurrage charges shall be recovered as under:

First 45 days	:	Free
46 days to 90 days	:	50% of actual demurrage charges
Beyond 90 days	:	100% of actual demurrage charges

Actual demurrage charges at full rate shall be worked out as per Scale of Rates at the appropriate slab as applicable after 45 days and the concessional rate mentioned above shall be applied thereon on the full demurrage charges leviable.

The first 45 days shall be reckoned with as follows:

- (a). First 45 days after expiry of free days if cargo is detained by the Customs before expiry of free days; and,
- (b). First 45 days from the date of detention if cargo is detained by the Customs after accrual of demurrage charges.

The detention certificate for availing the above concession shall be submitted within a period of six months from the date of clearance of goods.

- (iv). Demurrage charge on cargo shall not accrue for the period when the VSPL is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to VSPL.
- (v). If operational area is leased on rental to user, demurrage on cargo stored therein shall not be levied again.

3.6. Storage charges: (open stacking space)**3.6.1 Free Period:**(a). **Export:**

1 day free period (excluding Customs holidays and VSPL's non working days) will be allowed from the date of receipt of goods in the VSPL premises.

(b). **Import:**

1 day free period (excluding Customs holidays and VSPL's non working days) will be allowed from the day following the completion of final discharge of cargo from the vessel.

3.6.2. Storage charges leviable beyond the free period:

Description	Unit	Rate (in `)
For the first fortnight after the expiry of free period	Per Tonne or part thereof per fortnight	₹09
Second fortnight		₹12
Third fortnight		₹18

Notes:

Beyond 45 days storage charges shall be `24/- per ton per day.

3.7. Stevedoring charges:

Commodities	Rate in ₹ Per Ton	
	Other than coastal cargo	Coastal cargo
Dry Bulk:		
Fertilisers & FRM	50.00	30.00
Calcined Pet Coke and Met Coke	36.00	21.60
Pet coke	36.00	36.00
Iron ore	36.00	36.00
Coking Coal	36.00	21.60
Cement Clinker	40.00	24.00
Feldspar	20.00	12.00
Thermal Coal	60.00	60.00
Steam Coal	36.00	21.60
Illuminated Sand	36.00	21.60
Lime Stone	36.00	21.60
Gypsum	36.00	21.60
Food Grain	50.00	30.00
Slag	36.00	21.60
Scrap	46.00	27.60
Raw Sugar	40.00	24.00
Bauxite	40.00	24.00
Manganese Ore	40.00	24.00
Unenumerated goods / cargo	40.00	24.00
Break-Bulk:		
Steel	90.00	54.00
Pig Iron	55.00	33.00
Timber Logs	120.00	72.00
Granite	135.00	81.00
Others	60.00	36.00

Note:

- (1). The charges mentioned above are leviable for providing any or all of the activities like Picking, Lifting, Hoisting, Maneuvering, Positioning, Lowering, Unloading and Loading of Cargo bulk or break-bulk from/or into the Vessel's holds/Hatches/Combings/Wing Spaces/Between Decks and Decks till the Cargo is safely positioned either on the Wharf or on the Vessel, using vessel gear as the case may be.
- (2). Coal handled under Bulk material handling system will not attract separate stevedoring charges prescribed in the schedule 3.7.

3.8. Charges for shore operations:**(Rate in ₹ per tonne or part thereof)**

Other than Coastal cargo	Coastal cargo
81.00	48.60

Note: Concessional tariff prescribed for coastal cargo will not be applicable for thermal coal, POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets.

SECTION - 4**CHARGES FOR DEPLOYMENT OF EQUIPMENT****4.1. 104 Tonne Harbour Mobile Crane:**

Rate in ₹ per tonne or part thereof (in ₹)	
Other than coastal cargo	Coastal cargo
₹64.00 per ton or part thereof subject to minimum of ₹3,20,000/- per shift per crane	₹38.40 per ton or part thereof subject to minimum of ₹1,92,000/- per shift per crane

Notes:

- (1). Concessional tariff prescribed for coastal cargo will not be applicable for thermal coal, POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets.

- (2). This charge prescribed cover only the charges for working of the cranes. Slinging and unslinging and moving the loads within the reach of the crane shall be the responsibility of the hirer.
- (3). In addition to the charges for usage of Mobile Harbour Crane, stevedoring charges of ₹12.60 per tonne shall be collected from the users on account of stevedoring services comprising deployment of labour and equipment like pay loaders, front end loaders, excavators in holds, deployment of signal man/supervisor/safety experts and supply of save all nets. In case of coastal cargo other than the thermal coal, POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets, ₹7.60 per tonne over the above per ton rate shall be charged for users availing stevedoring services in addition to the usage of Mobile Harbour Crane.

4.2. Charges for railway siding administration and maintenance charges:

Description	Rate in ₹ per tonne or part thereof
All Cargoes handled through rakes	6.00

4.3. Dust suppression system charges:

Item No.	Description	Unit	Rate per tonne or part thereof (in ₹)
Pollution control charges for water sprinkling			
1.	For Dry Bulk	Per Tonne or part thereof	3.00
2.	For Break Bulk	Per Tonne or part thereof	1.00

4.4. Weighment Charges:

Item No.	Description	Unit	Rate per tonne or part thereof (in ₹)
1.	80 Tonne Electronic Road Weigh bridge	Per Tonne	5.00
2.	120 Tonne Electronic In Motion Weigh bridge	Per Tonne	6.00

Note: The service is optional and will be provided at the request made by the user.

4.5. Material Handling System for handling bulk cargo:

Item No.	Description	Rate per tonne or part thereof (in ₹)
1.	Discharge of cargo with 104 MT Harbour Mobile Cranes	64
2.	1200 TPH Mobile Hoppers – 2 Nos. with belt feeders and telescopic spout for truck loading.	13
3.	Conveyor and stackers – 2 Nos. for stacking @ 1600 TPH	47
4.	Reclaiming and wagon loading @ 1050 TPH	32
5.	Sampling system	3
6.	Other services – leveling, labeling and photographing	12
	Total:	171.00

4.6. Tarpaulin coverage charges:

Description	Rate per tonne or part thereof
All cargoes handled except cargoes delivered from hook point.	₹6.00

Note: Weight recorded at VSPL weighbridges shall be the final and conclusive for determining the tons of cargo dispatched and received in the terminal.

SECTION - 5

CHARGES FOR OTHER SERVICES

5.1. Visitor Entry Pass:	Yearly	Monthly	Daily
(a) Per Application	₹200	₹50	₹20
(b) Per Replacement	₹50	₹50	₹20

5.2. Vehicle Entry Pass (for vehicles other than the vehicles entering the terminal for delivery/ dispatch of cargo):	
Per Entry	₹75

5.3. Photography:

(i).	Film Shooting and Photography	₹25000 per hour
(ii).	Taking Photographs of Goods Imp/Exp	₹25000 per day
(iii).	Taking Photographs of Crews and Others	₹25000 per day
(iv).	Videography (related to operational activities)	₹12500 per hour